उत्तर प्रदेश शासन

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या-23/2022/666/92-2-22-87एम/2019

लखनऊ:: दिनांक 14 अक्टूबर, 2022

कार्यालय-ज्ञाप

ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, पी0आई0यू0-महोबा में सहायक अभियंता के पद पर तैनाती अवधि (दिनांक 23.08.2017 से 04.08.2017 तक) प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अंतर्गत ग्राम बरबई से सिरसीकला मार्ग (लम्बाई 7.00 कि0मी0 पैकेज संख्या-यू0पी0-4840) की अनुबंध की शर्तो के अनुसार अनुरक्षण की कार्यवाही न कराये जाने आदि हेतु प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-2851/92-2-21-87एम/2019 दिनांक 31-12-2021 एवं तत्संबंधी शुद्धि पत्र संख्या-98/92-2-22-87एम/2019 दिनांक 01.02.2022 द्वारा श्री गौतम सिंह यादव, तत्का0 सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, पीआईयू-महोबा के विरूद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली,1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक जांच संस्थित करते हुये जांच के सम्पादनार्थ अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-विन्ध्याचल मण्डल (मिर्जापुर) को पदेन जांच अधिकारी नामित किया गया।

2- जांच अधिकारी/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-विन्ध्याचल मण्डल (मिर्जापुर) के पत्र संख्या-343/ग्रा0अ0वि0/स्था0/ सहा0अभि0 /अनु0कार्य0/22-23 दिनांक 28.05.2022 द्वारा जांच आख्या शासन में उपलब्ध करायी गयी, जिसमें अपचारी अधिकारी पर अधिरोपित कुल 01 आरोप स्थापित नही पाया गया। जॉच आख्या के कतिपय बिन्दुओं पर निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा कतिपय बिन्दुओ पर स्थिति स्पष्ट करायी गयी, जिसमें उनके द्वारा जॉच अधिकारी की जॉच आख्या औचित्यपूर्ण बताते हुये अपचारी अधिकारी पर अधिरोपित कुल 01 आरोप स्थापित नही बताया गया।

3- अपचारी अधिकारी पर अधिरोपित आरोप, जांच अधिकारी की जांच आख्या एवं अन्य संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त अपचारी अधिकारी पर अधिरोपित कुल 01 आरोप स्थापित न पाये जाने के दृष्टिगत शासन के कार्यालय ज्ञाप

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

दिनांक 31-12-2021 द्वारा श्री गौतम सिंह यादव, तत्का0 सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, पीआईयू-महोबा सम्प्रति पी0आई0यू0-बलिया के विरूद्ध प्रचलित अनुशासनिक कार्यवाही को बिना किसी दण्ड के समाप्त किये जाने की एतदद्वारा श्री राज्यपाल संहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

अनुशासनिक प्राधिकारी की ओर से,

राजेन्द्र सिंह मौर्य
विशेष सचिव।

संख्या-23/2022/666(1)/92-2-2022 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
2- श्री गौतम सिंह यादव, तत्का0 सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, पीआईयू-महोबा द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(लक्ष्मण सिंह)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।